न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
जिला भीलवाड़ा राज

राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारी–[illegible] गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर–[illegible]/2017 प्रार्थना पत्र

अनवान

1–[illegible] रावल जाति जोगी निवासी लडकी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रार्थी

बनाम

1–[illegible] पिता हमीर रावल जाति जोगी निवासी लडकी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

2–तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट.</u>

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन– अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 18.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार/केम्प कोर्ट पीथा का खेडा मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम लडकी तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 175 में अंकित आराजी संख्या 745 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 746 रकबा 0.64 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.65 है0 स्थित है। प्रमाण में वर्तमान जमाबन्दी व नक्शा ट्रेश प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। प्रार्थनापत्र की कलम संख्या एक में अंकित कृषि आराजियात पूर्व में प्रार्थी के पिता के नाम पर थी जिसे प्रार्थी ने क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। प्रार्थी की उक्त कृषि आराजियात में आवागमन का एक मात्र रास्ता ग्राम लडकी से होकर बिलानाम आराजी संख्या 750 गै.मु. रास्ता से होकर विपक्षी संख्या एक व दो की आराजी संख्या 747 की पश्चिमी पाली पर स्थित विद्यमान कदीमी रास्ते से होकर प्रार्थी की कृषि आराजी में जाता है जो 15 फीट चौडा है। प्रार्थी इसी रास्ते का उपयोग करते हुए अपनी कृषि आराजियात जिसका वर्णन प्रार्थनापत्र की कलम संख्या एक में किया गया है में आवागमन करते हैं। प्रार्थी की कृषि आराजियात में आवागमन के रास्ते को सुविधा की दृष्टि से राजस्व नक्शे में लाल स्याही से डोटेड अंकित किया गया है। प्रार्थी व विपक्षीगण की आराजी पूर्व में शामलाती थी जिससे पूर्व में रास्ते का कोई विवाद नहीं था परंतु विभाजन के समय शामलाती रास्ता नहीं रखने से विभाजन हो जाने के पश्चात रास्ते का विवाद उत्पन्न हो गया है। प्रार्थी अपनी आराजियात में उक्त विद्यमान कदीमी रास्ते से ही अपने पूर्वजों के समय से आवागमन करता चला आ रहा हैं परंतु विपक्षीगण प्रार्थी से द्वेषता रखते हैं जिससे आए दिन प्रार्थी को उक्त रास्ते से आवागमन करने पर गाली गलौच कर लडाई झगडा करने लग गये। विपक्षीगण ने दिनांक 7.7.2017 को प्रार्थी के कब्जेकाश्त की भूमि पर आवागमन के उक्त कदीमी विद्यमान रास्ते को बंद कर दिया तथा प्रार्थी के खाद से भरे ट्रैक्टर अपने खेतों में ले जाने से रोक दिया व रास्ते से आवागमन करने पर जान से मारने की धमकी दे रहें हैं। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी का कदीमी विद्यमान रास्ता रोक देने से प्रार्थी अपनी कृषि आराजियात में आवागमन नहीं कर पा रहा है तथा प्रार्थी का खाद का ट्रेक्टर रोक देने से प्रार्थी अपने खेतों में खाद भी नहीं डाल पाए व खेतों की हकाई बुआई का समय है पर रास्ता बन्द होने से प्रार्थी अपने खेतों की हकाई बुआई भी नहीं कर पर रहे हैं। प्रार्थी की आराजियात में आवागमन का उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी की आराजियात आवागमन का उक्त रास्ता अत्यंत आवश्यकता का रास्ता है। प्रार्थी की कृषि आराजियात में आवागमन के उक्त रास्ते को विपक्षीगण ने जबरन बंद कर दिया है तथा उक्त रास्ते से आवागमन करने पर प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देते हैं। जिससे प्रार्थी को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है। उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होने से विपक्षीगण ने प्रार्थी के आवागमन को रोक दिया है। यदि विपक्षीगण की भूमि में स्थित प्रार्थी के आवागमन के रास्ते को नहीं खुलवाया गया तो प्रार्थी व उसका परिवार भूखे मरने की स्थिति में आ जाएगा। जिससे उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड में स्थाई रूप से सरकारी रास्ता दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित हो गया है। प्रार्थी के

आवागमन के रास्ते में विपक्षीगण की जितनी भुमि आती है उतनी भूमि की कीमत प्रार्थी डी.एल.सी. दर से विपक्षीगण को अदा करने के लिए तैयार है। प्रार्थी की कृषि आराजियात में आवागमन के उक्त रास्ते को विपक्षीगण ने दिनांक 7.7.2017 को लकडियों व पत्थर डालकर बंद कर दिया है जिससे प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्ध बिनाय प्रार्थनापत्र दिनांक 7.7.2017 से उत्पन्न होकर निरंतर जारी है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 24.07.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में भी नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में प्रार्थी एवं विपक्षी आसु रावल उपस्थित है। प्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से प्रार्थनापत्र अतंर्गत आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. का विपक्षी संख्या दो का नाम हटाने का पेश किया गया। जिसे स्वीकार किया जाकर शामिल फाइल किया गया। प्रार्थी एवं विपक्षी आसु रावल ने राजीनामा पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार उभय पक्ष के मध्य रास्ते के विवाद का समझौता इस प्रकार किया गया कि आराजी नम्बर 747 में से 68*4 = 272 वर्गमीटर भूमि पश्चिमी मैर के सहारे सहारे रास्ता कायम किया जावे। इसके एवज में आराजी नम्बर 746 की दक्षिणी मैर के सहारे सहारे 272 वर्गमीटर भूमि देना तय किया गया। उक्तानुसार रिकार्ड में दर्ज कराया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार ग्राम लडकी पटवार हल्का पीथा का खेडा में उभय पक्ष के मध्य रास्ते के विवाद का समझौता इस प्रकार किया गया कि आराजी नम्बर 747 में से 68*4 = 272 वर्गमीटर भूमि पश्चिमी मैर के सहारे सहारे रास्ता कायम करने तथा इसके एवज में आराजी नम्बर 746 की दक्षिणी मैर के सहारे सहारे 272 वर्गमीटर भूमि विपक्षी को देना तय किया गया। प्रकरण मे निर्णय गुणावगुण पर न होकर आपसी समझौते से किया जा रहा है। समझौता इस निर्णय का भाग रहेगा। उक्तानुसार रिकार्ड में दर्ज कराया जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हुं। अतः

आदेश

ग्राम लडकी पटवार हल्का पीथा का खेडा में प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार उभय पक्ष के मध्य रास्ते के विवाद का समझौते अनुसार आराजी नम्बर 747 में से 68*4 = 272 वर्गमीटर भूमि पश्चिमी मैर के सहारे सहारे रास्ता दर्ज किया जावे। इसके एवज में आराजी नम्बर 746 की दक्षिणी मैर के सहारे सहारे 272 वर्गमीटर भूमि विपक्षी को दी जावे। प्रकरण मे निर्णय गुणावगुण पर न होकर आपसी समझौते से किया जा रहा है। समझौता इस निर्णय का भाग रहेगा। उक्तानुसार रास्ता राजस्व रिकार्ड में तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट 18.05.2018 में संलग्न नक्शा अनुसार बिलानाम गेमु0 रास्ता दर्ज करने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 18.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा